

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

GCMs-2024/895


तारीख हुकम	मुकदमा सं. 204 2024	वाड पत्र हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विक्रम कुमार vs अणची वगै०	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	------------------------	--	---

23/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकूलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 24.09.2025 को पेश हो।

24/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकूलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 08.10.2025 को पेश हो।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

08/10/2025

वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकूलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकूलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत वादपत्र से संबंधित अन्य वादपत्र उनवानी विक्रम कुमार बनाम अणची वगै० मु० सं० 203/2024 जिसमें विवादित आराजी भिन्न हैं, के साथ ही एक ही विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश कर दिया गया है। अतः दोनो वादपत्र में भिन्न विवादित भूमि हेतु अलग-अलग विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।


पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव एवं संबंधित वादपत्र उनवानी विक्रम कुमार बनाम अणची वगै० मु० सं० 203/2024 का अवलोकन किया गया एवं बहस वकूलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि हस्तगत वादपत्र एवं अन्य संबंधित वादपत्र उनवानी विक्रम कुमार बनाम अणची वगै० मु० सं० 203/2024 में अंकित विवादित आराजी भिन्न हैं लेकिन पक्षकार दोनों विवादित आराजी में लगभग समान हैं जिस कारण अलग-अलग आराजी में विवादित पक्षकारान का अलग-अलग खाता विभाजन किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि दोनो विवादित भूमियां एक ही परिवार के सदस्यों की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस तामील में
----------------	------------	------------------------------------	------------------------------

हैं जिस कारण बंटवारे के उक्त वादपत्रों में एक पक्षकार को बंटवारे में एक ही आराजी में खातेदार काश्तकार बनाया जाना है जबकि दूसरी विवादित आराजी से उक्त एक पक्षकार का नाम हटाया जाना है जिस कारण तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा उक्त दोनो वादपत्र की विवादित भूमियों बाबत एक ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर भिजवाया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (राजवीर सिंह यादव)
 उपखण्ड अधिकारी
 राजवीर सिंह यादव
 नीमकाथाना
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

- विक्रम कुमार कुमावत पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद कुमावत जाति कुम्हार निवासी मावण्डाकलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

- अणची पत्नि पोखर जाति माली वगैरह

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा


मुकदमा नं. 204 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री राजेन्द्र गोठवाल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री रोशनलाल अग्रवाल, श्री अड़ीसाल मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बस्तक के दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।




राजवीर सिंह यादव
आहदा
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	नीमकाथाना (सीकर)
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।